इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2011—आश्विन 27, शक 1933

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-1(1)21-2007-सी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :— उक्त नियमों में—

अनुसूची—एक, दो, तीन और चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं अर्थात् :--

अनुसूची—एक (नियम-5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान

अनुक्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अतिरिक्त संचालक	01	प्रथम वर्ग	रु. 37400-67000 + ग्रेड पे 8700	-
2	संयुक्त संचालक	02	प्रथम वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 7600	_
3	उप संचालक	. 10	प्रथम वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600	_
4	राज्य रोजगार अधिकारी	01	प्रथम वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600	
5	संभागीय रोजगार अधिकारी	02	प्रथम वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600	
6	वरिष्ठ शोध अधिकारी	01	प्रथम वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600	_
7	रोजगार बाजार सूचना अधिकारी.	01	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	-
8	सहायक संचालक	02	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	-
9	राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी.	01	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	
10	रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण)	55	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	
11	व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी	01	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	
12	लेखा अधिकारी	01	द्वितीय वर्ग	रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400	-
13	प्रोग्रामर	03	- द्वितीय वर्ग	रु. 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	
14	शीघ्रलेखक श्रेणी—1	01	द्वितीय वर्ग	रु. 9300-34800 + ग्रेड पे 4200	

अनुसूची – दो (नियम – ६ देखिये) भरती का तरीका

विभाग का नाम	पदनाम	पदों की	1	पदों की संख्या का प्रतिशत	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण	टिप्पणी	
		कुल संख्या	सीधी भरती द्वारा नियम 8(1)(क देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम–6(1) (ख) देखिए]	द्वारा [नियम–6(1)(ग) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)	
वाणिज्य,	मध्यप्रदेश रोजगार						
उद्योग और	सेवा	ļ					
रोजगार	1— अतिरिक्त	01		100 प्रतिशत		-	
विभाग	संचालक						
	2- संयुक्त संचालक	02		100 प्रतिशत		_	
*	3- उप सचांलक	10		_			
	4— राज्य रोजगार अधिकारी	01	_	100 प्रतिशत	_	अनुक्रमांक 3 से 6 के सामने वर्णित राजपत्रित सेवा प्रथम वर्ग के पद अन्तर परिवर्तनीय है	
	5— संभागीय रोजगार अधिकारी	02					
	6— वरिष्ठ शोध अधिकारी	01				_	
		1 1				T	
	7— रोजगार बाजार सूचना अधिकारी	01					
	8- सहायक संचालक	02	÷			_	
-	9— राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी	01	50% म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारां	50 प्रतिशत	_	अनुक्रमांक-7 से 11 के सामने वर्णित राजपत्रित सेवा द्वितीय वर्ग के पद अन्तर परिवर्तनीय है	
	10— रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण)	55					
	11—व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी	01			se .		
•	12— लेखा अधिकारी	01	-		म.प्र. लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	PCS	
	13— प्रोग्रामर	03	100 % म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा			-	
	14— शीघ्रलेखक श्रेणी—1	01	-	100 प्रतिशत	-		

अनुसूची — तीन (नियम-८ देखिये) ती के लिए आय तथा अर्हता

सीधी भरती के लिए आयु तथा अहेता						
विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता		
		आयु सीमा	आयु सीमा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	मध्यप्रदेश रोजगार सेवा					
	(राजपत्रित)					
वाणिज्य,	1. रोजगार बाजार सूचना	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से		
उद्योग और	अधिकारी			कला, विज्ञान (जिसमें टेक्नालॉजी या		
रोजगार विभाग				इंजीनियरिंग भी सम्मिलित है) वाणिज्य या		
				कृषि में स्नातक की उपाधि।		
-	2. सहायक संचालक	21 वर्ष	35 वर्ष	–तदैव–		
à	3. राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	–तदैव		
	4. रोजगार अधिकारी / रोजगार	21 वर्ष	35 वर्ष	तदैव		
	अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण)		00 41			
	5. व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	तदैव		
	6. प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	बी. ई./बी. टेक. (कम्प्यूटर साइंस)/एम.		
			•••	सी. ए./बी. ई. इलेक्ट्रौनिक्स में किसी		
				मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
				उपाधि		
				अथवा		
				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से		
				गणित / भौतिक शास्त्र / सांख्यिकीय /		
				ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम द्वितीय		
				श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी		
				मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /		
				मंडल / संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में		
				डिप्लोमा के साथ एक वर्ष का कम्प्यूटर पर		
				कार्य करने का अनुभव।		
				वाछनींय योग्यता-		
				 रोजगार कार्योलय की प्रक्रिया से संबंधित		
.				कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को		
				प्राथमिकता दी जावेगी ।		
				अलिलियता या जायता ।		
		<u> </u>				

अनुसूची — चार (नियम—13 देखिये)

	(निय	म—13 देखिये)		
विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा की	विभागीय पदोन्ति समिति के · सदस्य
			कालावधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्य,	प्रथम श्रेणी			
उद्योग और रोजगार विभाग	1— संयुक्त सद्यालक	अतिरिक्त संचालक	3 वर्ष	 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य—अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य उद्योग आयुक्त-सदस्य
	1— उप सचालक			3
	2— राज्य रोजगार अधिकारी 3— संभागीय रोजगार अधिकारी 4— वरिष्ठ शोध अधिकारी	संयुक्त संचालक	3 वर्ष	तदैव
	द्वितीय श्रेणी			
				—तदैव—
				.
•	 1- रोजगार बाजार सूचना अधिकारी 2- राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी 3- सहायक संचालक 4- रोजगार अधिकारी/रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) 5- व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी , 	उप सचीलक / राज्य रोजगार अधिकारी / संभागीय रोजगार अधिकारी / वरिष्ठ शोध अधिकारी	5 वर्ष	टीप :- पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नित समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम निर्देशित किए गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अन्य अधिकारी को पदोन्नित समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नित समिति की सदस्य सँख्या उस सीमा तक बढ़ायी जायेगी।
I	1— अधीक्षक	रोजगार बाजार सूचना	5 वर्ष	727
	2— सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	अधिकारी / राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी / सहायक संचालक / रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) / व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी		— तदैव— :
	1— शीघलेखक श्रेणी—2	शीघ्रलेखक श्रेणी1	5 वर्ष	1. उद्योग आयुक्त — अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक रोजगार — सदस्य 3. उप संचालक रोजगार, संचालनालय (स्थापना) — सदस्य टीप :— पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम निर्देशित किए गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अन्य अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जायेगी।

No. F-1(1)21/2007/C- Eleven-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya pradesh, hereby, makes the following amendment, in the Madhya Pradesh Employment Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1991 namely:-

In the said Rules,-

AMENDMENTS

For Schedule-I, II, III and IV the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-1

(See Rule -5)

Classification, Pay-Scales and Number of the posts included in the Service

S. NO.	NAME OF THE POSTS	NUMBER OF POSTS	CLASSIF- ICATION	SCALE OF PAY	REMARK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director	01	Class I	Rs.37400-67000 + Grade Pay 8700	-
2.	Joint Director	02	Class I	Rs.15600-39100 + Grade Pay 7600	-
3.	Deputy Director	10	Class I	Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600	•
4.	State Employment Officer	01	Class I	Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600	-
5	Divisional Employment Officer	02	Class I	Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600	ing.
6.	Senior Research Officer	0,1	Class I	Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600	-
7.	Employment Market Information Officer	01	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	**
8.	Assistant Director	02	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	-
9.	State Vocational Guidance Officer	01	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	-
10.	Employment officer/ Employment Officer (Staff Training)	55	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	-
11.	Vocational Research Officer	01	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	-
12	Accounts Officer	01	Class II	Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400	-
13	Programmer	03	Class II	Rs.9300-34800 + Grade Pay 4200	-
14	Stenographer Grade-1	01	Class II	Rs.9300-34800 + Grade Pay 4200	-

SCHEDULE-II (See Rule -6)

•		•	
Method	of Re	cruitme	nt

		Total	Percentage of the		By transfer	Remarks
Name of Department	Name of the post	number of Post	posts to be f By Direct recruitment [Vide Rule 6(1)(a)]	By promotion of the members in service [Vide Rule 6(1)(b)]	of the persons from other service [Vide Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Department of	The Madhya Pradesh Employment Service					
Commerce, industry and	Additional Director	01	***************************************	100%	_	
Employment	2. Joint Director	02		100%	-	- :
	3. Deputy Director	10				Class-I Gazetted Posts mentioned against serial number 3 to 6 are inter changeable
٠	4. StateEemployment Officer	01	· -	100%	_	parties
	5. Divisional Employment Officer	02	·			-
	6. Senior Research Officer	01				4000
	7. Employment Market Information Officer 8. Assistant Director 9. State Vocational	01 02 01				-
	Guidance Officer 10. Employmnet Officer/ Employment Officer (Staff Training)	55	50% By Competative Examination through Madhya Pradesh Public Service Commission	50%		ClassII Gazetted Posts mentioned against serial numbers 7 to 11 are inter changeable
•	11. Vocational Research Officer	01				_
•	12. Accounts Officer	01	-		On Deputation from the Madhya Pradesh Accounts Service.	
	13. Programmer	03	100% By Competative Examination through Madhya Pradesh Public Service Commission		-	-
	14. Stenographer Grade-1	01	-	100%	_	-

SCHEDULE-III

(See Rule -8)

AGE AND QUALIFICATION FOR DIRECT RECRUITMENT

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of	The Madhya Pradesh	(3)	(4)	(O)
Commerce, Industry and	Employment Service			
Employment	(Gazetted) 1. Employment - Market Information Officer	21 years	35years	A Bachelor's Degree in Arts, Science (including Technology or Engineering) Commerce or Agriculture from any recognized University.
	2. Assistant Director	21 years	35years	do
	State Vocational Guidance Officer	21 years	35years	do
	4. Employmnet Officer/ Employmnet Officer (Staff Training)	21 years	35years	do
	Vocational Research Officer	21 years	35years	do
	6. Programmer	21 years	35years	Degree in B.E./B.Tech.(Computer Science) /M.C.A./B.E.(Electronics) From any recognized University. OR At least Second Class masters degree in Mathamatics/Physics/Statistics/Opreation Research From any recognized University and Diploma in computer science from any recognized University/ Board /Institution with one year experience of working on computer Desirable Qualification — Perference will be given to those who have experience of employment exchange procedure

SCHEDULE-IV (See Rule -13)

Name of Department	Name of the post from which the promotion is to be made	Name of the post to which the promotion is to be made	Period of service required for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee.
Department	2	3	4	5
of Commerce, Industry and Employment	1. Joint Director	Additional Director	3 Years.	1.The Chairman of the Public Service Commission or any member nominated by him. 2. Principal Secretary - Member. 3. Industry Commissioner - Member
*	Deputy Director State Employment Officer Divisional Employment Officer Senior Research Officer	Joint Director	3 Years.	do
	Employment Market Information Officer State Vocational Guidance Officer Assistant Director Employment Officer/ Employment Officer (Staff Training) Vocational Research Officer	Deputy Director/ State Employment Officer/ Divisional Employment Officer/ Senior Research Officer	5 Years	Note: In the Promotion Committee for posts filled by the promotion excluding the Chairman of the Promotion Committee, amongst the nominated members if there is no one representing Scheduled Caste and Scheduled Tribe, then in that case an officer of the same status belonging to these categories shall be included in the Promotion Committee and the number of members in the Promotion Committee shall be increased to that extent.
	Class -III		J	
	Superintendent Assistant Statistical Officer	Employment Market Information Officer/ State Vocational Guidance Officer/ Assistant Director/ Employment Officer/ Employment Officer (Staff Training)/ Vocational Research Officer	5 Years	do
	1. Stenographer Grade-2	Stenographer Grade-1	5 Years	1.Industry - Chairman Commissioner 2. Joint Director , - Member Employment

Name of Department	Name of the post from which the promotion is to be made	Name of the post to which the promotion is to be made	Period of service required for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee.
1	2	3	4	5
				3. Deputy Director, —Member Employment Directorate (Esablishment) Note: In the Promotion Committee for posts filled by the promotion excluding the Chairman of the Promotion Committee, amongst the nominated members if there is no one representing Scheduled Caste and Scheduled Tribe, then in that case an officer of the same status belonging to these categories shall be included in the Promotion Committee and the number o members in the Promotion Committee shall be increased to that extent".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रज्जाक, उपसचिव.